156

अपील -1771-I 16

न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक .... /2016

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक – **श्री सुंदर लाल गौंड़** उम्र 60 वर्ष पिता श्री रतीराम गौंड़
निवासी– 29, ग्राम टीगन थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 6112 6816 4242

विरुद्ध

उत्तरवादी/अनावेदक – (1) **श्री इन्दरजीत सिंह** उम्र 58 वर्ष पिता स्व. सोहन सिंह
निवासी– 182, नेपियर टाउन के पीछे, जबलपुर (म.प्र.)
Adhar No. 2114 7210 5154
(2) मध्यप्रदेश शासन

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

अपीलार्थी/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्व प्रकरण क्रमांक 13/अ–21/2015–16 सुंदर लाल गौंड़ विरुद्ध श्री इन्दरजीत सिंह ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 से व्यथित होकर वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है ।

रिविजन के तथ्य

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1771–/1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
24-6-16	यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 13/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 02–05–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 की धारा 44 कें अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम टींगन नं.बं. 192 प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 323 रकवा 0.400 है0 उबड –खाबड होने एंव अन –उपजाउ होने से भूमि को विकय कर बच्चो की शिक्षा एंव लडकी की शादी तथा मकान बनवाने के लिये रूपये की आवश्यकताओ होने के कारण भूमि को विकय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 13/अ–21/2015–16 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन में अंकित तथ्यो की जॉच कराकर आदेश दिनांक 2.05.2016 पारित किया एंव अपीलांट का आवेदन अस्वीकार कर प्रकरण खारिज कर दिया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3– अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 4– अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 323 रकवा 0.920 हे. के विकय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि उसके पास विकय की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त ग्रम टीगन प.ह.न. 40 रा.नि.म. बरगी तहसील व जिला जवलपुर जिसका खसरा नंबर 29 रकवा 0.310 हे. , खसरा	

नंबर 30 रकवा 3.720 हे. , खसरा नंवर 302 रकवा 0.250 हे. , खसरा नंवर 303 रकवा 0.870 हे. , खसरा नंबर 323 रकवा 0.920 हे. , खसरा नं 327 रकवा 0.260 हे. खसरा नंबर 458 रकवा 0.480 हे. इस प्रकार कुल रकवा 6.81 हे. भूमि सिचित /असिचित भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विकय की जाने वाली भूमि के विकय उपरांत वह भूमिहीन नही होगा एंव भूमि विकय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत वना सकेगा एंव अपनें बच्चो की शिक्षा एंव लडकी की शादी व मकान बनवाने के लिये भूमि विकय का प्रयोजन भी सद्भावना पर आघारित है जिसके कारण विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नही आती है। वैसे भी अपीलांट द्धारा विकय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्धारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है, एंव अतिरिक्त तहसीलदार द्धारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा अनुविभागीय अधिकारी द्धारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकय की अनुमति दिये जाने मे किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नही है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0–08–माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू–राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0)–धारा 165(7–ख)तथा 158 (3) का लागू होना –उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये –बिना अनुमति के भूमि का अंतरण–उपंबधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –उपबंध आकर्षित नही होते–भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन–का सिद्धात –नवीन उपवंध का अंतःस्थापन –भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 165(7–ख) सरकारी पटटेदार द्धारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंर्जित किये –भूमि का विकय कर सकता

है—कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 13/अ—21/2015—16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्रम टींगन नं.बं. 192 प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 323 रकवा 0.400 है0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:—

1—भूमि का कय—विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का कय —विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3—केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य